भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
21.12.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2445 का उत्तर

प्लेटफार्मों पर छोटे कैटरिंग वेंडिग लाइसेंस

2445. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रेलवे प्लेटफॉर्मों पर संचालित होने वाले छोटे कैटरिंग वेंडिंग लाइसेंसों के समक्ष आने वाली समस्याओं का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेलवे खान-पान लाइसेंस वेलफेयर एसोसिएशन (पंजीकृत) से भारतीय रेलवे प्लेटफार्मों पर काम करने वाले छोटे स्तर के कैटरिंग वेंडिंग लाइसेंसधारकों की शिकायतों और मांगों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संसद सदस्यों ने भी एसोसिएशन की मांगों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने की सिफारिश की है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त मांगों की जांच की गई है और उस पर सहमति व्यक्त की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): जी, हाँ। भारतीय रेल ने छोटे लाइसेंसधारियों/विक्रेताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

(i). कोविड महामारी के दौरान जिस अवधि के लिए स्टॉल परिचालन में नहीं थे उसे 'अकार्य दिवस' माना गया था और तदनुसार ठेकों को बढ़ाया गया था।

(ii). स्टेशनों पर यातायात घनत्व और यात्रियों की संख्या में हुई कमी को देखते हुए लाइसेंसधारियों को लाइसेंस शुल्क में छूट दी गई थी।

(iii). निष्पादन प्रतिभूति जमा को कुल ठेका मूल्य के 10% से कम करके 3% किया गया है।

(iv). बिक्री क्षमता में वृद्धि करने के लिए फ्रूट/जूस स्टॉलों पर पैक्ड सामग्रियों की अनुमति दी गई है।

(v). क्षेत्रीय रेलों को स्थैतिक खानपान इकाइयों के लाइसेंसधारियों को प्लेटफॉर्म पर वेंडिंग की अनुमति देने के लिए शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं।

(vi). 2017 के वाणिज्यिक परिपत्र 22 और रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 27.08.2019 के अनुदेशों के अनुसरण में लघु स्थैतिक खानपान इकाइयों के पुराने मौजूदा खानपान लाइसेंसों के नवीकरण की अनुमति दी गई है।

(ग) से (ङ): जी, हाँ। अखिल भारतीय रेलवे खान-पान लाइसेंसधारी कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत) और साथ ही माननीय संसद सदस्यों से आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें लघु स्थैतिक इकाई विक्रेताओं के लिए विभिन्न छूटें मांगी गई हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस शुल्क में छूट, लघु केटरिंग इकाइयों के लाइसेंसों का नवीकरण, विधिक उत्तराधिकारी को लाइसेंस का हस्तांतरण, खान-पान नीति 2017 में परिकल्पित निविदा प्रणाली को समाप्त करना, लाइसेंस शुल्क पर जीएसटी में छूट, फ्रूट/जूस स्टॉलों पर पैक्ड समग्रियों की बिक्री की अनुमति, प्लेटफॉर्म वेंडिंग अनुमति, प्लेटफॉर्मों पर कुकिंग गैस का प्रयोग और रियायती दरों पर बिजली की आपूर्ति शामिल हैं। मेरिट के आधार पर अभ्यावेदनों/सुझावों की जांच की गई है और तदनुसार कार्रवाई की गई है।

*****

s.k